तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/7/24	वकुलाप उपस्थित। बहस हेतु अवसर चाहा। पत्रावली क्षेत्राधिकार/श्रवणाधिकार पर बहस हेतु दिनांक 5/8/24 को पेश हो।	
5/8/24	वकुलाप उपस्थित। प्रकरण में क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार पर उभयपक्ष को सुनागया। वकील प्रार्थी ने नगरपरिषद बून्दी द्वारा जारी पट्टा विलेख संख्या 1276 दिनांक 27/7/22 को निरस्त किये जाने बाबत प्रस्तुत निगरानी इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में होने से यहां सुनवाई किये जाने का निवेदन कियागया। जबकि वकील अप्रार्थी सं. 2, 3 द्वारा क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार नहीं होने से प्रकरण यहां चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने का निवेदन कियागया। न्यायालय द्वारा बहस पर मनन किया तथा विधिक प्रावधानों का अवलोकन कियागया। नगरपरिषद बून्दी जारी पट्टा सं. 1276 दिनांक 27/7/22 जो दिनांक 28/7/22 को रजिस्टर्ड है, ऐसे रजिस्टर्ड पट्टे को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है, जैसा कि 2018 (2) DNJ (Raj.) पृष्ठ सं. 385 में उद्धरित है। साथ ही स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना	

FORM No. III

APP-A
crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

अज अदालत...मुकाम...

....बनाम...

किस्म मुकदमा...नं. ....सन्...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिनांक 10/6/2016 के अवलोकन से प्रकट है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73 की उपधारा (2) सपठित धारा 337 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये संभागीय आयुक्त महोदय को उक्त धारा 73 के अधीन सम्पत्ति के अन्तरण और संविदा से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई कर निस्तारण करने हेतु प्राधिकृत किया हुआ है। इससे स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में इस न्यायालय को सुनवाई का अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः प्रार्थी की निगरानी क्षेत्राधिकार/श्रवणाधिकार के अभाव में अस्वीकार की जाती है तथा मूल पत्रावली सक्षम स्तर पर कार्यवाही हेतु प्रार्थी को लौटाई जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) जिला कलेक्टर, बून्दी	